न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम,अम्बेडकरनगर

UPAN010019302020

ELECTRICITY ACT/107/2020

सरकार बनाम राधेश्याम आदि

अपराध संख्या—169/2019
धारा—135 विद्युत अधिनियम
थानाः—महरूआ
जनपद—अम्बेडकरनगर।

07.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त मो.सिद्दीक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त सिद्दीक को प्रेषित अधिपत्र पर थाना महरूआ द्वारा यह आख्या दी गयी है कि सिद्दीक की मृत्यु दो वर्ष पूर्व हो चुकी है। थाने की आख्या के साथ उ.प्र.शासन द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है। चूंकि अभियुक्त सिद्दीक की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्त सिद्दीक की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध वाद उपशमित किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि सह अभियुक्त राधेश्याम यादव के विरूद्ध न्यायालय के आदेश दिनांक 14.09.2024 द्वारा वाद की कार्यवाही अंतर्गत विद्युत अधिनियम की धारा—152(2) में समाप्त की जा चुकी है। अन्य कोई अभियुक्त पत्रावली पर शेष नहीं है। अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ.कोड—यू.पी.6067

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.03.07 17:15:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court